



न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय म.प्र.राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप भोपाल
निगरानी क्र...../14 R. 3960-11114

मनोज आ.श्री मोहनलाल यादव आयु वयस्क
निवासी-यादव मोहल्ला कस्बा सीहोर.....निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1. श्रीमती सुरेखा मालवीय पत्नी अजय मालवीय आयु वयस्क,
जाति कलार, निवासी-आफिसर्स कालोनी सीहोर जिला-सीहोर
2. लीलाधर आ.ईमरतलाल आयु वयस्क
निवासी ग्राम जहांगीरपुरा, तह.व जिला-सीहोर
3. श्रीमती गीता यादव पत्नी स्व.श्री मोहन उर्फ मटरू यादव
4. मनीष आ.स्व.श्री मोहन उर्फ मटरू यादव
क्र.3 व 4 निवासी-कस्बा सीहोर,
तहसील व जिला-सीहोर म.प्र.प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0, 1959
विरुद्ध आदेश दिनांक 12/04/2013 जो प्रकरण क्र.
1/अपील/2011-12 में अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय
अधिकारी सीहोर म.प्र. द्वारा पारित किया गया।

मनोज आ.श्री मोहनलाल यादव
आयु वयस्क
निवासी-यादव मोहल्ला कस्बा सीहोर
22/11/14
RSL

130
सी.बी.के. श्रीवास्तव
अधि.व्यव.द्वारा आप
द्व. 22/11/14 को प्रस्तुत।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ट

प्रकरण क्रमांक R/3960/2018 सी.ए.र.

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ट

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
20/12/18	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>ए.के.श्रीवास्तव</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी <u>सी.ए.र.</u> के प्रकरण क्रमांक <u>01/अपील/11-12</u> में पारित आदेश दिनांक <u>12/04/13</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला <u>सी.ए.र.</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>03/04/19</u> को कलेक्टर जिला <u>सी.ए.र.</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>सदस्य</p>